पत्र संख्या-स0नि0-सामान्य परिपत्र-पत्रावली/2026-27/ 27 /राज्य कर

प्रेषक,

आयुक्त,
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1- समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2- अपर निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर प्रशिक्षण एवं
शोध संस्थान, लखनऊ।

(सम्पत्ति अनुभाग) लखनऊ :: दिनांक :: 10 अप्रैल , 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय/आवासीय भवनों के नवनिर्माण कार्य तथा विभागीय कार्यालय/आवासीय भवनों में लघु/वृहद निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु आगणन प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य कर विभाग की उपलब्ध भूमि पर विभागीय कार्यालय/आवासीय भवनों के नवनिर्माण कार्य तथा विभागीय कार्यालय/आवासीय भवनों में लघु/वृहद निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु लेखा अनुदान में बजट का प्राविधान किया गया है।

उक्त कार्य कराये जाने हेतु मुख्यालय उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावों में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक है:-

1. शासन द्वारा निर्धारित लागत सीमा हेतु अधिकृत/अनुमोदित संस्था से ही कार्य कराया जा रहा है तथा कराये जाने वाले कार्य हेतु कार्यदायी संस्था शासन द्वारा नामित हो।

2. कराये जाने वाले समस्त कार्य का समावेश प्रस्तुत प्रस्ताव/आगणन में सम्मिलित है।

3. कराये जाने वाले कार्यों के दायित्व का निर्धारण व भुगतान शासनादेश में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

4. कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव में कार्य का स्पष्ट उल्लेख सक्षम स्तर के अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति सहित करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

5. कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन प्रस्ताव में निहित धनराशि का मूल्यांकन स्थानीय स्तर से सक्षम स्तर के अधिकारी से कराकर, मूल्यांकित आगणन पर संबंधित कार्यदायी संस्था का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

6. कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन प्रस्ताव में कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा का उल्लेख अवश्य किया जाये।

7. जिस कार्य का स्थान, कार्य की प्रकृति समान हो उस कार्य को टुकड़ो में विभाजित न करके नियमानुसार एक साथ ही आगणन प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

8. अनुरक्षण/मरम्मत, नये निर्माण कार्य हेतु वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अंतर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाए तथा उनका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

9. कार्यदायी संस्था का चयन वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सूची में प्रथम वरीयता ''ए'' श्रेणी की कार्यदायी संस्था से आगणन प्रस्ताव प्राप्त किया जाए। उनसे प्राप्त न होने की दशा में ''बी'' व ''सी'' श्रेणी की कार्यदायी संस्थाओं से आगणन प्रस्ताव प्राप्त किया जाए तथा ''ए'' श्रेणी की कार्यदायी संस्था से किये गये पत्राचार का उल्लेख प्रस्ताव में अवश्य किया जाए।

10. नये वृहद निर्माण कार्य/निर्माण कार्य/अनुरक्षण कार्य हेतु तीन राजकीय कार्यदायी संस्थाओं से उपरोक्त बिन्दुओं का समावेश करते हुए परिपक्व एव औचित्यपूर्ण आगणन प्रस्ताव समयान्तर्गत अपनी स्पष्ट संस्तुति

199

श्रीमती ....पूर्णिमा..........
कृपया ... करें।
... कर,
दिनांक 15-04-26

सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु मुख्यालय प्रेषित किये जाये।

11. अधिकतम धनराशि रु०-2.00 लाख तक के लघु निर्माण से सम्बन्धित कार्य कराए जाने हेतु शासनादेश संख्या-5/2015/ई-8-1092/दस-2015-1074/2012 दिनांक-08.09.2015 द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं में से किसी भी संस्था से आगणन गठित कराते हुए, प्रस्ताव का सत्यापन लोक निर्माण विभाग से कराकर, कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त कार्य कराये जाने हेतु घोषणा पत्र एवं सहमति पत्र प्राप्त कर अपनी स्पष्ट संस्तुति प्रदान करते हुए उपलब्ध कराए जाए।

12. आवासीय भवनों में मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-ए-1092/दस-2011-24(7)-95 दिनांक 25.11.2011 में उल्लिखित प्रतिनिधायन/शर्तों के अंतर्गत ही मुख्यालय को प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत ही प्रेषित किये जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के दृष्टिगत राज्य कर विभाग की उपलब्ध भूमि पर विभागीय कार्यालय/आवासीय भवनों के नवनिर्माण कार्य एवं विभागीय कार्यालय/आवासीय भवनों में लघु/वृहद निर्माण कार्य तथा अनुरक्षण कार्य, जो अपरिहार्य प्रकृति के हो, के प्रतिहस्ताक्षरित परिपक्व एवं औचित्यपूर्ण आगणन प्रस्ताव मुख्यालय उपलब्ध कराये जाने हेतु समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, उ० प्र० को निर्देशित कर दे व स्वयं भी प्रभावी अनुश्रवण करते हुए अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रत्येक दशा में दिनांक 30.06.2026 तक मुख्यालय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यह पत्र आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,
Digitally signed by
DHANANJAY SHUKLA
Date: 10-04-2026
18:21:10
(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक//उक्त।</u>
प्रतिलिपिः-

1-संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0/प्रभारी नजारत) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव उपरोक्तानुसार समयान्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

Digitally signed by
SRI HARI MISHRA
Date: 10-04-2026
18:27:17
(श्रीहरि मिश्रा)
संयुकत आयुक्त (सम्पत्ति) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।